

उत्तर प्रदेश सरकार  
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2  
संख्या-क0नि0-2-५८७/ग्यारह-९(१०७)/०७-उ०प्र०अधि०-३०-२००७-आदेश-(७४)-२०११  
लखनऊः दिनांकः २३ मई, २०११

### शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-122/ग्यारह-९(१०७)/०७-उ०प्र०एक्ट-३०-२००७-आदेश-(५३)-२०१० दिनांक १९ जनवरी, २०१० में,-

(1) हिन्दी पाठ में,-

- (क) पृष्ठ संख्या-2 पर स्तम्भ-एक में नियम 4 के उपनियम (1) की अन्तिम पंक्ति में अंकित शब्द "कर निर्धारण को" के स्थान पर शब्द "कर निर्धारण प्राधिकारी को" पढ़ा जाय।  
(ख) पृष्ठ संख्या-2 स्तम्भ-दो में नियम 4 के उपनियम (3) में तीसरे प्रस्तर की चौथी पंक्ति में अंकित शब्द "व विवरणी" के स्थान पर शब्द "वार्षिक विवरणी" पढ़ा जाय।  
(ग) पृष्ठ संख्या-3 स्तम्भ-दो में नियम 4 के उपनियम (4) की दूसरी पंक्ति में अंकित शब्द "जोकर" के स्थान पर शब्द "जो कर" पढ़ा जाय।

(2) अंग्रेजी पाठ में,-

- (क) पृष्ठ संख्या-34 पर स्तम्भ-दो में नियम 4 के उपनियम (4) के खण्ड (iii) के प्रथम पैरा के अन्त में नीचे से दूसरी पंक्ति में अंकित शब्द "refun" के स्थान पर शब्द "refund" पढ़ा जाय।  
(ख) पृष्ठ संख्या-41 पर Schedule A Existing Form-C की तीसरी पंक्ति में अंकित शब्द "mo thly/quarterly" के स्थान पर शब्द "monthly/quarterly" पढ़ा जाय।  
(ग) पृष्ठ संख्या-56 पर Schedule B Form-E में Declaration शीर्षक के अन्तर्गत चौथी पंक्ति में अंकित शब्द "best on my knowledge" के स्थान पर शब्द "best of my knowledge" पढ़ा जाय।

आज्ञा से,  
(चन्द्रभानु)  
सचिव।